डॉ॰ रेणु कुमारी
गेस्ट प्रोफेसर
भारती मण्डन महाविद्यालय
रहिका

बी॰ ए॰ पार्ट-II
PAPER -III

राज्य के नीति के निदेशक तत्व
DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

नीति निदेशक तत्व का अर्थ और स्वरूप

निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं, जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित किये जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में स्वा: स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में ~~प्रजातंत्र के~~ प्रेरणा देनेवाले हैं।

इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि "इस भाग में दिए गए उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

इस धारा से यह स्पष्ट है कि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है अर्थात् निदेशक तत्व के क्रियान्वित के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं

नहीं किए जा सकते हैं। निर्देशक तत्व की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जी० एन० जोशी ने लिखा है कि "इन निर्देशक तत्वों का विधानमण्डलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत है जिसका अनुकरण संघ और को करना चाहिए।"

नीति निदेशक तत्वों का स्वरूप — नीति निदेशक तत्व के स्वरूप के संबंध में तीन बातें उल्लेखनीय हैं—

1. इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं
3. कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से है।

नीति निदेशक तत्व को भिन्न वर्गों में में बाँटा जा सकता है

1. आर्थिक सुरक्षा संबंधी ~~निर्देश~~ निदेशक तत्व।
2. समाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व।

3. न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व।
4. प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी तत्व।
5. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा संबंधी तत्व।

नीति निदेशक तत्वों की आलोचना

जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्य के निदेशक तत्वों संबंधी उपबन्धों की बहुत आलोचना हुई थी। नीति निदेशक तत्वों की आलोचना निम्न है—

1. वैधानिक शक्ति का अभाव
2. निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र।
3. संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका
4. अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप से संग्रहित।
5. एक संप्रभुतासम्पन्न राज्य में अप्राकृतिक।

नीति निदेशक तत्वों का महत्व

इन तत्वों के महत्व का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है—

1. निदेशक तत्व के पीछे जनमत की शक्ति।
2. नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व।
3. शासन के मुल्यांकन का आधार।
4. समाजिक आर्थिक क्रान्ति के साधन।
5. संविधान की व्याख्या में सहायक।
6. कार्यपालिका द्वारा इनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।

निदेशक तत्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है।